न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0 –– 210/2015
प्रविष्टि दिनांक –– 16.10.2015

उनवान

1. गीता बेवा मोहन बरूए रिकॉर्ड पटवार बेवा मदन उम्र 58 साल जाति बैरवा मूल निवासी ग्राम मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक हाल आबाद गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला टोंक राज0
2. राजू पुत्र मोहन बरूए रिकॉर्ड पटवार मदन उम्र 32 साल जाति बैरवा मूल निवासी ग्राम मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक हाल आबाद गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला टोंक राज0
3. मैना पुत्री मोहन बरूए रिकॉर्ड पटवार पुत्री मदन पतिन सुरेश उम्र 27 साल जाति बैरवा मूल निवासी मेहन्दवास तह0 व जिला टोंक हाल जयपुर राजस्थान
4. हिना पुत्री मोहन बरूए रिकॉर्ड पटवार पुत्री मदन जाति बैरवा आयु 22 साल निवासी ग्राम मेहन्दवास तह0 व जिला टोंक राज0

– वादीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री कजोड जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला टोंक राज0
2. प्रसन्न बाई पुत्री कजोड जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी कोटा राज0
3. निरमा उर्फ निर्मल पुत्री कजोड आयु 6 साल नाबालिग जेरे सरपरस्ती माता गौरा बाई पत्नि कजोड जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
4. सरोज बाई पुत्री काजोड आयु 8 साल नाबालिग जेरे सरपरस्ती माता गौरा बाई पत्नि कजोड जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
5. गौरा बाई बेवा कजोड जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
6. बाबूलाल पुत्र श्योराम जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
7. सूरज पुत्र कैलाश नाबालिग जेरे सरपरस्ती माता मोत्या पत्नि कैलाश जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
8. किरन पुत्री कैलाश नाबालिग जेरे सरपरस्ती माता मोत्या पतिन कैलाश जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी जिला कोटा राज0
9. ललिता पुत्री कैलाश जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गांधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
10. बीना पुत्री कैलाश नाबालिग जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गांधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
11. मोत्या बेवा कैलाश जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
12. महावीर पुत्र बंशी जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गांधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
13. शांति बेवा बंशी जाति बैरवा निवासी मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गांधी कॉलोनी कोटा राज0
14. अनोखा पुत्री बंशी जाति बैरवा निवासीयान मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0

अधिकारी
राज0)

Scanned by CamScanner

15. सायरी पुत्री बंशी जाति बैरवा निवासीयान मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
16. संतोष पुत्री बंशी जाति बैरवा निवासीयान मेहन्दवास हाल गली नम्बर 11 माला फाटक महात्मा गाँधी कॉलोनी जिला कोटा राज0
17. तहसीलदार साहब टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित–

वकील वादी–

वकील प्रतिवादीगण– श्री जुबैद अहमद बसरी

श्री ताराचन्द सैनी

दावा
दुरूस्ती इन्द्राज व उदघोषणा

दिनांक– 10/05/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दावा वादीगण यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 16 आपस में सगे सम्बंधी है एवं पूर्वज श्योरामा की संतान दर संतान है। श्योरामा ने अपने मरने उपरान्त अपने वारिसान में जो निम्न शिजरे में अंकित है, छोडा था।

श्योराम				
कजोड फोत । प्रतवादी नम्बर 1 ता 5	बाबूलाल जीवित प्रतिवादी नम्बर 6	वंशी फोत प्रतिवादी नम्बर 12 से 16	कैलाश फोत प्रतिवादी संख्या 7 से 11	मोहन जिसे रिकॉर्ड पटवार में सहवन से मदन अंकित कर दिया इसके वारिसान वादीगण 1 ता 4

मृतक श्योरामा ने पैरा नम्बर 1 में अंकित वारिसान के अतिरिक्त मालियों की झोंपडी पटवार हल्का मेहन्दवास में आराजी खसरा नम्बर 634 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किस्म जमीन बारानी–3 व इसके अतिरिक्त ग्राम मेहन्दवास में आराजी खसरा नम्बर 1515 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1516 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1956 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1957 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा कुल 13 बीघा 2 बिस्वा का खाता छोडा था। ग्राम मेहन्दवास में श्योरामा की मृत्यु उपरान्त आराजीयात का दाखिल खारिज उसके पिसरान कजोड, बाबूलाल, बंशी, कैलाश व मोहन जिसे सहवन से मदन अंकित किया गया है, व पुत्रीयां कमला, मोहनी, के हक में खोला गया जबकि मदन जो असल में मोहन था श्योरामा के जीवन में ही फोत हो चुका था व पुत्रीयां कमला व मोहनी भी फोत हो चुकी थी व श्योरामा की पत्नि भी श्योंरामा के जीवनकाल में फोत हो चुकी थी। इस प्रकार से मालियों की झोंपडी हल्का मेहन्दवास का दाखिल खारिज खोला गया जो 20.06.2005 को कोरम के समक्ष स्वीकार हुआ उस समय भी मोहन जिसे सहवन से मदन लिखा है फोत हो चुका था व मोहनी, कमला भी फोत हो चुकी थी। मोहनी, कमला का विवाह भी नहीं हुआ था इसलिए उनके किसी भी वारिस के होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मदन नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। सहवन से मालियों की झोंपडी हल्का मेहन्दवास की भूमि व मेहन्दवास की भूमि में मोहन के स्थान पर मदन अंकित किया गया। उक्त तथ्य का ज्ञान वादीगण को समय रहते कभी नही हो सका। अभी हाल में फसल खराबी का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिये जाने पर वादीगण द्वारा बगर्ज खाने कमाने अपने ग्राम मेहन्दवास से कोटा में रहते है। मुआवजा लेने हेतु ग्राम मेहन्दवास आये तो उन्हे इस गलती का ज्ञान हुआ कि वादीगण के पति व पिता मोहन का नाम रिकॉर्ड पटवार में सहवन से

Scanned by CamScanner

मदन दर्ज हो गया है। जबकि उसका वास्तविक नाम मोहन ही था जो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र से भी सिद्ध है। मोहन की मृत्यू 25.04.1997 को हुई जो कोटा में हुई थी एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र भी कोटा में बनाया जिसमें उसके नाम के आगे लाल लिखा हुआ है मदन का कोई प्रश्न ही नहीं है। मोहन कोटा में रहकर मजदूरी करता था। उसके राशन कार्ड आदि से भी मोहन नाम होना सिद्ध है। मोहन के स्थान पर मदन नाम की गलती होने से वादीगण को असहाय क्षति हो रही है। चूंकि किसी भी प्रकार का आगामी जीवन में कृत्य करने में मदन अंकित होने से कृत्य को पूर्ण किये जाने में परेशानी होगी। भूमि आदि के सम्बंधित मुआवजा राशि आदि प्राप्त करने में भी परेशानी हो रही है। एवं उक्त गलती केवल पटवारी हल्का द्वारा मोहन को मदन समझने से हुई है जो न्यायहित में दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी ग्राम मेहन्दवास, आधारकार्ड, राशनकार्ड, मिलान क्षेत्रफल,जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम मेहन्दवास आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादीगण सं. 2 ता 16 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं. 17 तहसीलदार टोंक को जवाब प्राप्त किया गया। प्रतिवादी सं. 17 ने भी राजस्व रिकार्ड का हवाला देकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया है।

हमने लायक वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो का अध्ययन किया। प्रतिवादीगण वादी के वादपत्र से सहमत है एंव दस्तावेजात से भी यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड में लिपीकिय त्रुटि से मोहन लाल के स्थान पर मदन अंकित हो गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मदन के स्थान पर मोहनलाल किया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

अतः वाद का वादीगण बाबत दुरूस्ति ईन्द्राजात स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मदन के स्थान पर मोहनलाल पुत्र श्योरामा अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्ति की कार्यवाही करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री जगदीश आर्य आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

गीता व अन्य बनाम मुकेश व अन्य

उपस्थित–

वकील वादी– श्री जुबैद अहमद बसरी

वकील प्रतिवादीगण– श्री ताराचन्द सैनी

दावा
दुरूस्ती इन्द्राज व उदघोषणा
दावा नं0 210/2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वाद का वादीगण बाबत दुरूस्ति ईन्द्राजात स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मदन के स्थान पर मोहनलाल पुत्र श्योरामा अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्ति की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 10/06/2019 को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी टोंक
टोंक (राज.)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner